न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आई ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 61 / 2025 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. समदादेवी पत्नी ताराराम जाति भील निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बालोतरा (राज.)	1. केसरा पुत्र लच्छा 2. खीमेन्द्र कुमार पुत्र मानाराम 3. चुतराराम पुत्र ताराराम 4. चनणाराम पुत्र ताराराम 5. धाई पत्नी किस्तुराराम 6. नेनाराम पुत्र ताजाराम 7. पूनमा पुत्र लच्छा 8. पपाराम पुत्र किस्तुराराम 9. बाबू पुत्र अनोपा 10. भूरा पुत्र लच्छा 11. मुकेश कुमार पुत्र मानाराम 12. मिसरा पुत्र लच्छा 13. रामाराम पुत्र हरचन्द 14. लुम्भा पुत्र सिमरथा 15. लाला पुत्र सिमरथा 16. शेम्भू पुत्र लच्छा 17. अन्तरी पत्नी मानाराम 18. नारणा पुत्र लच्छा के का0 मु0 18/1. निम्बाराम पुत्र नारणा 18/2. भल्लाराम पुत्र नारणा 18/3. छगनाराम पुत्र नारणा 18/4. गुमनाराम पुत्र नारणा 18/5. भगाराम पुत्र नारणा 19. आदूराम पुत्र रतनाराम 20. उगराराम पुत्र रतनाराम 21. गुमनाराम पुत्र चूनाराम 22. चेना पुत्र सोना के का0 मु0 22/1. भल्लाराम पुत्र चेनाराम

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	22/2. धापूदेवी पत्नी चेना 23. छगनाराम पुत्र रतनाराम 24. ढेलीदेवी पत्नी तुलछाराम 25. ताजाराम पुत्र बगताराम 26. ताराराम पुत्र रतनाराम 27. दुर्गाराम पुत्र तुलछाराम 28. निम्बाराम पुत्र तुलछाराम 29. पैम्पों पत्नी रतनाराम 30. पांचाराम पुत्र ईशराराम 31. बालाराम पुत्र अनोपाराम 32. भेराराम पुत्र ईशराराम 33. भंवरलाल पुत्र चूनाराम 34. मथरीदवी पत्नी चूनाराम 35. महेश पुत्र सिमरथा 36. मोहनलाल पुत्र ईशराराम 37. राणाराम पुत्र हुकमाराम 38. रामाराम पुत्र ईशराराम 39. लिखमाराम पुत्र अनोपा के का0 मु0 39/1. चम्पाराम पुत्र लिखमाराम के का. मु. 39/1/1. उकाराम पुत्र चम्पाराम 39/1/2. टीकमाराम पुत्र चम्पाराम 39/1/3. धन्नाराम पुत्र चम्पाराम 39/1/4. दीपाराम पुत्र चम्पाराम 39/1/5. ठाकराराम पुत्र चम्पाराम 39/1/6. मेवाराम पुत्र चम्पाराम 39/1/7. सुआदेवी पत्नी चम्पाराम 39/2. वीरमाराम पुत्र लिखमाराम के का. मु. 39/2/1. संदीप पुत्र वीरमाराम 39/2/2. पार्वती पत्नी वीरमाराम 39/3. शंकरलाल पुत्र लिखमाराम 39/4. मूलाराम पुत्र लिखमाराम 39/5. छगनाराम पुत्र लिखमाराम

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	39/6. नेमीचन्द पुत्र लिखमाराम 40. सुआ पत्नी ईसराराम 41. रूखमों पत्नी ताजाराम 42. वीरमाराम पुत्र ताजाराम जातियान भील निवासीयान बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर हाल जिला बालोतरा 43. रघुवीर मीणा पुत्र जगनाथ मीणा जाति मीणा निवासी पृथ्वीपुरा खडेल जयपुर। 44. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2021 बउनवान केसरा वगैरह बनाम आदू वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.05.2025 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनील के मेराजा रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 व 13 की ओर से।
3. वकील श्री नरपत पूनड़ रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—15.07.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 सें 43 की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा बायतु भोपजी तहसील बायतु, जिला बाड़मेर हाल जिला बालोतरा में खसरा संख्या 350 रकबा 51.9378 हैक्टेयर का आया हुआ है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड अलग—अलग हिस्से खुल्ले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 18 अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा—काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं तथा अपीलांट एव रेस्पोडेन्ट संख्या 19 से 43 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करवाना चाहते है, जिस हेतु यह वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 24 (अपीलांट) के नाम से प्रथम बार ही डाक से सम्मन जारी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किये गये अपीलांट के नाम से जारी सम्मन अपीलांट से व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुये फिर भी अपीलांट की गलत रूप से उपस्थिति बाताते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.05.2025 को जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 43 की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा बायतु भोपजी तहसील बायतु, जिला बाड़मेर हाल जिला बालोतरा में खसरा संख्या 350 रकबा 51.9378 हैक्टेयर का आया हुआ है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग हिस्से खुल्ले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 18 ने अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया। वाद पेश होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 24 (अपीलांट) के नाम से प्रथम बार ही डाक से सम्मन जारी किये गये तथा अपीलांट के नाम से जारी सम्मन अपीलांट से व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुये न ही डाक से कोई सम्मन प्राप्त हुआ, जिससे साबित है कि अपीलांट को वाद की कोई सूचना प्राप्त हूई, जिस कारण अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलांट की तामील के बारे में कोई जांच नहीं की। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामील की प्रक्रिया सीपीसी नियम 5 आदेश 17 से 20 के अनुसार पूरी किये बिना ही जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन को विधिवत रूप से अपीलांट से तामिल नहीं करवाया गया है तथा अपीलांट के नाम से प्रथम बार ही डाक से नोटिस जारी किये गये हैं जबकि विधिवत रूप से प्रथम जरिये तामील कुन्निदा से सम्मन तामिल करवायाा जाना आवश्यक है परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रथम बार ही डाक से नोटिस भेजे गये तथा नोटिस अपीलांट से विधिवत तामील ही नहीं हुई है तथा डाक मिलने की ए.डी. भी पत्रावली में मौजूद नहीं है न ही अपीलांट ने किसी को अधिवक्ता को नियुक्त किया न ही किसी अधिवक्ता को

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकालतनामा या अन्य कोई दस्तावेज दिया था। इस प्रकार अपीलांट न तो स्वयं और न ही वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थी। फिर भी अपीलांट की गलत रूप से उपस्थिति दर्ज बताई। वादीगण (रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 18) ने अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुऐ तथा बिना साक्ष्य पेश किये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलांट की गलत तरीके से उपस्थिति दर्ज करवाते हुए अपीलांधीन निर्णय एकतरफा पारित करवाया। उक्त अपीलांधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यो की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलांधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी(अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन–फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का पैतृक रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई जो विधि से सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था।

उक्तानुसासर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुऐ अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

उतरदाता संख्या 3, 4 व 13 की तरफ से अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि उतरदाता संख्या 3, 4 व 13 एक अधिवक्ता द्वारा हस्तगत अपीलाधीन वाद के अन्य वादीगणों से मिलीभगत कर हमारे वास्तविक पैतृक हक हिस्सों से कम हिस्सा खातेदारी का होना गलत अंकन कर दावा पेश कर हमारे हितों पर भारी कुठाराघात कर अपूर्णिय क्षति पहुचाने का प्रयास किया है, इतना ही

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं विधि में निहित अधिवक्ता के नैतिक आचरण के विपरीत जाकर उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा बिना वकील मुकर्रर किये ही वकालतनामा दे कर उसे वादी बनाकर दावा पेश किया जो नैतिक कदाचार के विरूद्ध है। साथ ही हाजा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 22 एवं धारा 151 सी पी सी का पेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नया दावा पेश करने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं से यह भली भांती स्पष्ट हो रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय की मंशा न्यायिक कतई नहीं रही है। अतः उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की मूल भावना के विपरीत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से भी विपरीत होने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाने का आदेश फरमावें।

उतरदाता संख्या 8 की तरफ से अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 सें 43 की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी भूमि मौजा बायतु भोपजी तहसील बायतु, जिला बाड़मेर हाल जिला बालोतरा में खसरा संख्या 350 रकबा 51.9378 हैक्टेयर का आया हुआ है तथा मौके पर मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग हिस्से खुल्ले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 18(वादीगण) अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाना चाहते है तथा अपीलांट एव रेस्पोडेन्ट संख्या 19 से 43 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करवाना चाहते हैं, जिस हेतु यह वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतयाः विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा–काश्तशुदा है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 18 (वादीगण) अपनी हक–हिस्से की आराजी को उपाजउ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानीयों को सामना करना पड़ रहा था। इसलियें सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करनें हेतु वाद पेश किया था। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलाटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। वकील अपीलांट के कथनानुसार एवं दस्तावेज अनुसार अपीलांट द्वारा अपने ओर से पैरवी व प्रतिरक्षा करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता ही नियुक्त नहीं किया गया था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह अपीलांट/प्रतिवादी को सूचित करते और सूचित करने के बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 22 एवं धारा 151 सी पी सी के साथ दस्तावेज पेश किये गये जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया। उक्त के संबंध में यह स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज पर प्रथम बार विचार करने का तथा उस पर अपना मत प्रकट करने व आदेश पारित करने का अधिकार विचारण न्यायालय को है। अतः "उक्त प्रार्थना–पत्र को मूल ही अधीनस्थ न्यायालय को हाजा न्यायालय के निर्णय प्रति के साथ प्रेषित किया जाना न्यायोचित होगा। साथ ही नया वाद पेश की अनुमति के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय अपने आदेश हेतु स्वतंत्र रहेगा।" अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2021 बउनवान केसरा वगैरह बनाम आदू वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

05.01.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करतु हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

15/7/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/7/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर